न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश – 16,
छपरा, सारण।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 2201/2026
परिवाद वाद संख्या – 320/23

मुमताज आलम..... आवेदक/अभियुक्त
बनाम
बिहार सरकार ..... विपक्षी

आदेश

दिनांक – 03.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **मुमताज आलम,** जो परिवाद पत्र संख्या – 320/23 (विचारण संख्या – 1056/25) अन्तर्गत धारा – 498(ए) भा0द0वि0 के अभियुक्त है तथा अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसके द्वारा घटना को कारित नही किया गया है, उसको गलत तरीके से इस वाद मे फसाया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास भी नही है और न ही उसके द्वारा मान्नीय सत्र न्यायालय, सारण और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के यहाँ अग्रिम जमानत/जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक/अभियुक्त, परिवादी/सूचिका का पति है, आवेदक जहाँ भी रहेगें वहाँ अपने पत्नी के साथ रहने या उसको रखने को तैयार है। परिवादिनी, आवेदक के घर मे ताला बंद कर के आ गयी है। आवेदक मान्नीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने को तैयार है, ऐसी स्थिति मे उसको अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

परिवादिनी का कथन संक्षेप मे इस प्रकार है कि उसकी शादी सात वर्ष पूर्व आवेदक के साथ हुई। उसको पाँच वर्ष का एक पुत्र भी है। शादी के बाद आवेदक/अभियुक्त, परिवादिनी को कहा करता था कि उसे परिवादनी पसंद नही है तथा वह परिवार वालो के दबाव मे आकर शादी किया है तथा परिवादनी को वह गाली गलौज तथा मरपीट करने लगता। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.01.23 को नुजहन प्रवीण के साथ शादी करने के नियत से घर से कही भाग गया, जिसके बाद परिवादनी एवं उसके छोटे बच्चे के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो गयी। अन्य अभियुक्तगण परिवादनी को मारपीट कर घ ार से भगा दिये। परिवादनी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, इस वजह से वह जबरदस्ती घर मे रह रही है।

अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा – 498(ए) भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर उसके पत्नी को गाली गलौज तथा मारपीट करने एवं घर से निकालने का आरोप है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 2201/2026
परिवाद वाद संख्या – 320/23

– 498(ए) भा0द0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा – 82 एवं 83 सीआरपीसी के अन्तर्गत अधिपत्र निर्गत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अपने अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 6 मे यह उल्लेखित किया है कि वह, परिवादनी/सूचिका के पति है तथा वह, परिवादनी/सूचिका को अपने साथ जहाँ कही भी वह रहते है, रखने को तैयार है।

ऐसी स्थिति मे उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त **मुमताज आलम** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह आरोप गठन होने तक प्रत्येक तिथि को विचारण न्यायालय मे उपस्थित रहेगें।आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मो. 10000/– का बंध–पत्र साथ मे सामान राशि के दो प्रति–भू दाखिल करने पर अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
03/07/26

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– 15,
सारण छपरा।